न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18 / 2020(उदयपुरआर्डर)

टीलाराम पिता भेराजी डांगी, निवासी रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. रामा पिता पुराजी डांगी, निवासी रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध

निर्णयउपखण्डअधिकारीमावली प्रकरण संख्या 17 / 2020दिनांक14.10.2020

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री उंकारलाल डांगीअभिभाषकअपीलान्ट

2. श्री कैलाश नागदा अभिभाषकरेस्पो.सं. 1

3.श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

–––::–––

निर्णयदिनांक 21–03–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रख्यावल में आराजी नंबर 1489, 1490, 1491, 1492 व 1609 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 रामा पिता पूरा डांगी के नाम दर्ज है। सेवा जी के वारिसान प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी के पुराने नंबर 1066/4 व 1066/5 थे, जिस पर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 के मौरूस सेवा पिता दीपा जी काबिज होकर काश्त करते थे। चूंकि सेवा जी के सभी पुत्र एक साथ ही निवास करते थे, इसलिए सेवा जी की मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 1 के पिता पूरा ने राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त कुलिया भूमि अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली एवं पूरा के बाद उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 ने अपने नाम अंकित करवा ली, जबकि मौके पर सेवा जी के चारों पुत्रों का समान हिस्से अनुसार बंटवारा होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested

उसी अनुसार काबिज हैं। प्रार्थी का कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय का होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी वे खातेदार हो चुके हैं, किन्तु वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज हो जाने से भूमि विक्रय करने की धमकी देते हैं। अतः निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 को इस आशय की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित में प्रार्थी के हिस्से व कब्जे की भूमि किसी अन्य को विक्रय नहीं करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें तथा प्रार्थी को शान्ति पूर्ण उपयोग–उपभोग करने देवें।

अधिनस्थ न्यायालय द्वाराउभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 15–06–2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्रस्वीकार करपक्षकारान को मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने के आदेश दिये, जिससे व्यथित होकर विपक्षी संख्या 1 रामा ने धारा 114 व आदेश 47 नियम 1 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 टीलाराम के 1/96 हिस्से में कोई दखलन्दाजी नहीं की गयी है, प्रार्थी अपने बाकी बचे 95/96 हिस्से पर ही खेती करता चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आप न्यायालय का आदेश दिनांक 15–06–2016 का पुर्नविलोकन किया जावे तथा विपक्षी संख्या 1 टीलाराम को प्रार्थी के 95/96 हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14–10–2020 को प्रार्थी रामा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपने पूर्व आदेश दिनांक 15–06–2016 में संशोधन करते हुए निर्णय पारित किया कि विवादित आराजियात में प्रार्थी रामा के 95/96 हिस्से एवं विपक्षी संख्या 1 टीलाराम के 1/96 हिस्से में उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखें एवं एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट टीलाराम द्वारा दिनांक 12–11–2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री कैलाश नागदा उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested

हुए।रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया किअधिनस्थ न्यायालयने दिनांक 15–06–2016 को अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया, जिसमें उप पंजियक मावली को भी पक्षकार बनाया, किन्तु बिना उप पंजीयक मावली को पक्षकार बनाये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो संशोधित निर्णय दिनांक 14–10–2020 को पारित किया गया है, वह त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का, रख्यावल के पर्चा मौके से स्पष्ट है विवादित भूमि रामा के नाम दर्ज है, लेकिन मेघा का 1/4 हिस्साइकरारनामें से नर्बदा पत्नी जेतराम डांगी द्वारा क्रय किया गया है तथा 1/4 हिस्से पर चतरा पिता सेवा डांगी के वारिसान का कब्जा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। धारा 114, आदेश 47 नियम 1 जा.दी. के स्कोप को बिना समझे ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कथित आदेश पारित किया गया है, जबकि रिव्यू का स्कोप बहुत छोटा होता है। रिव्यू प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई बात अंकित नहीं है, जो धारा 114, आदेश 47 नियम 1 जा.दी. के स्कोप में आती हो। दिनांक 15–06–2016 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। ऐसे आदेश की न तो अपील होती है, न रिव्यू प्रार्थना पत्र की निगरानी होती है। अधिनस्थ न्यायालय ने 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है, जबकि इस बाबत् प्रार्थी द्वारा न तो कोई मयाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने रिव्यू आदेश में मयाद बाबत किसी प्रकार को कोई उल्लेख किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–10–2016 न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 15–06–2016 बहाल रखा जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 128 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14–10–2020 को जो संशोधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश पारित किया है वह उभयपक्षों को सुनकर विधि अनुसार पारित किया है।अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर को देखा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–06–2016 को उभयपक्षों को सुनकर मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा पक्षकारान को एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। उक्त प्रकरण में उप पंजियक मावली भी पक्षकार है, किन्तु उक्त निर्णय को रिव्यू करने हेतु विपक्षी संख्या 1 रामा द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 114, आदेश 47 नियम 1 जा.दी. का प्रस्तुत किया है, उसमें उप पंजीयक मावली को पक्षकार नहीं बनाया है, जो विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण है। हम यह भी पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15–06–2020 के विरूद्ध विपक्षी संख्या 1 रामा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 114, आदेश 47 नियम 1 जा.दी. दिनांक 03–07–2020 को अर्थात करीब 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जबकि रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मयाद 1 माह ही होती है एवं इस बाबत् उनके द्वारा मयाद कण्डोन हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने रिव्यू आदेश में इसका कोई उल्लेख किया है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2022 (1) पेज 128 प्रस्तुत की गयी है उसमें विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं होने से रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज योग्य माना है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–10–2020 त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतःअपील अपीलान्टस्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–10–2020अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 15–06–2016 बहाल रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–03–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:11:10 IST
Reason: SelfAttested